वार्षिक रिपोर्ट

2014-15

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार,

कोर- IV बी, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड़,नई दिल्ली -110003

वेबसाइट: www.ncrpb.nic.in

विषय-सूची

क्र. स.	विवरण	पृष्ठ सं.
I	औचित्य	1
II	बोर्ड का गठन और सदस्यता	1-2
III	कार्य	2
IV	शक्तियाँ	2-3
V	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा	3-4
VI	काउंटर मेग्नैट क्षेत्र	5-6
VII	योजना समिति का गठन तथा कार्य	6-7
VIII	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021	7-11
IX	सिंहावलोकन का वर्ष 2013-14	11
	क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन	11
	i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा	11-12
	ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के अंतर्गत उप-क्षेत्रीय योजनाओं का निर्माण	12-13
	iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी	13
	(क) रेल नेटवर्क	13-14
	1. मध्यवर्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर) तक मेट्रो रेल का विस्तार	14
	2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल परियोजनाएँ	
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली	14-16
	(ग) सड़क नेटवर्क	16
	1. दिल्ली के नजदीक परिसरीय (पेरीफेरल) एक्सप्रेसवे	16
	2. दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेसवे	17
	3. राष्ट्रीय राजमार्ग	17
	ख. बोर्ड द्वारा वित्तपोष्ति परियोजनाएँ	17-18
	अनुलग्नक-'क' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की ऋण सहायता प्राप्त चल रही अवसंरचनात्मक परियोजनओं की सूची	19-30
	ग. वर्ष के दौरान ऋण संवितरण	30-34

	घ. (i) वित्तीय संसाधन	34-35
	(ii) संसाधन जुटाना	35-36
	(iii) लेखा परिक्षा एवं लेखा	37
	(iv) क्षमता विकास हेतु पहलें	37
	(ड) नई पहल	37
	(च) प्रशासन एवं सतर्कता	38
	(i) प्रशासन	38
	(ii) सतर्कता	38-39
	(iii) सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.)	39
	(iv) ई-अधिप्रापण/क्रय	39
	(v) संगठनात्मक संरचना	40-41

I औचित्य

निम्नलिखित उद्देश्यों से संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था:-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करना;
- उक्त योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना; तथा
- इस क्षेत्र में भू-उपयोगों के नियंत्रण के लिए सुसंगत नीतियां बनाना और बुनियादी सुविधा का विकास करना ताकि इस क्षेत्र में बेतरतीब विकास से बचा जा सके ।

II. बोर्ड का गठन और सदस्यता:

शहरी विकास मंत्रालय की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या के-11019/3/2012-डीडी VI दिनॉक 14.02.14 के अनुसार बोर्ड के वर्तमान गठन का ब्यौरा इस प्रकार है:

1	केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री	अध्यक्ष
2	केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री	सदस्य
3	रेल मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
4	शहरी विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
5	मुख्यमंत्री, हरियाणा	सदस्य
6	मुख्यमंत्री, राजस्थान	सदस्य
7	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8	उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	सदस्य
9	मुख्यमंत्री, दिल्ली	सदस्य
10	शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार	सदस्य
11	शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
12	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
13	सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
14	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	सदस्य
15	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
16	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
17	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य

18	प्रमुख सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
19	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव

अतिरिक्त सहयोजित सदस्य:

1.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार
2.	सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार

सहयोजित सदस्य:

1.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

III. कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्य निम्नलिखित है:

(क) क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना ।

(ख) प्रत्येक सहभागी राज्य और संघशासित प्रदेश द्वारा उप-क्षेत्रीय योजनाएँ और परियोजना योजनाएँ तैयार कराने की व्यवस्था करना।

(ग) सहभागी राज्यों और संघ शासित प्रदेश के जरिए क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजनाओं, उप-क्षेत्रीय योजनाओं तथा परियोजनाओं को लागू और कार्यान्वयन करने के कार्यों का समन्वय करना।

(घ) क्षेत्रीय योजना में निर्दिष्ट चरणों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उप-क्षेत्रों में परियोजना तैयार करने, प्राथमिकताओं के निर्धारण तथा विकास की चरणबद्धता के संबंध में सहभागी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश द्वारा उपयुक्त तथा व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार करना सुनिश्चित करना।

(ड) केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों के साथ-साथ अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनिंदा विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था और उनका निरीक्षण करना।

IV. शक्तियॉ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की शक्तियॉ निम्नलिखित है:

(क) कार्यात्मक योजनाओं तथा उप-क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार, लागू और कार्यान्वित करने के संबंध में सहभागी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र से रिर्पोट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि कार्यात्मक योजना अथवा उप-क्षेत्रीय योजना, जो भी हों, क्षेत्रीय योजना के अनुरूप तैयार, लागू और कार्यान्वित हों;

(ग) क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के चरणों को निर्दिष्ट करना;

(घ) क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजना, उप-क्षेत्रीय याजना और परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;

(ड) व्यापक परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन, प्राथमिकता प्राप्त विकास की आवश्यकता और उन परियाजनाओं, जिन्हें उपयुक्त समझे, के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सहायता मुहैया कराना;

(च) संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे शहरी क्षेत्र का चयन, उसकी अवस्थिति, जनसंख्या तथा विकास की संभावना को ध्यान में रखकर करना जिसे क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित किया जा सकता हो; और

(छ) समिति को ऐसे अन्य कार्य सौंपना जिसे बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

V. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित केन्द्र बिंदु के रूप में अंतर्राज्जीय क्षेत्र के विकास हेतु योजना का एक बेजोड उदाहरण है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सहभागी राज्यों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लगभग 34.144 वर्ग किमी. का क्षेत्र शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देश के भू-क्षेत्रफल का लगभग 1.60 % है।

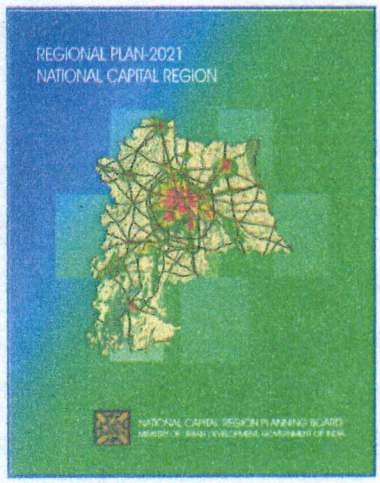

उपक्षेत्र-वार क्षेत्रफल का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:

उप क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का % क्षेत्र	जिलों के नाम
हरियाणा	13,428	39.3%	फरीदाबाद, गुड़गॉव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाडी, झज्झर, पानीपत और पलवल
उत्तर प्रदेश	10,853	31.8%	मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर हापुड और बागपत
राजस्थान	8,380	24.5%	अलवर
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	4.4%	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
कुल	**34,144**		

शहरी विकास मंत्रालय ने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 01.10.2013 के तहत हरियाणा राज्य के भिवानी तथा महेन्द्रगढ़ जिलों तथा राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले को रा.रा.क्षेत्र में शामिल करने हेतु अधिसूचित किया है । अधिसूचना के पश्चात् हरियाणा उप-क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 20,105 वर्ग किमी. है तथा राजस्थान उप-क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 13,447 वर्ग कि.मी. हो गया है। अधिसूचना के परिणामस्वरूप, रा.रा.क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल अब 45,888 वर्ग किमी. हो गया है।

रा.रा.क्षेत्र में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (अरावली की पहाड़ियॉ, वन, वन्य जीव-जन्तु और पक्षी अभ्यारणय, गंगा, यमुना और हिंडन नदियों आदि), उर्वर जोत योग्य भूमि होने के कारण विशेष है तथा यह एक गतिशील ग्रामीण-शहरी क्षेत्र है। जनगणना 2011 के अनुसार 62.6% के शहरीकरण स्तर के साथ एन सी आर भारत में एक अत्यधिक शहरीकृत क्षेत्र है। जनगणना 2011 के अनुसार 34,144 वर्ग कि. मी. क्षेत्र वाले एनीसीआर की जनसंख्या 460.69 लाख है जो 168 नगरों (22 श्रेणी-I शहर, 13 श्रेणी-II के नगर हैं) तथा 7206 ग्रामीण बस्तियों में रहती है।

VI. काउंटर मैग्नेट क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 (च) के तहत बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबंधित राज्य के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर का कोई भी क्षेत्र उसके स्थान, जनसंख्या और विकास की समर्थता को ध्यान में रखते हुए काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चुने ताकि क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना 2001 में निम्नलिखित 5 काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की पहचान की है:

- हरियाणा में हिसार
- उत्तर प्रदेश में बरेली
- राजस्थान में कोटा
- पंजाब में पटियाला
- मध्य प्रदेश में ग्वालियर

काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों के अन्तर्गत दो विशिष्ट परस्पर पूरक भूमिकाओं की परिकल्पना की गई थी, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

- "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी प्रवाह, जिसमें तीव्रता से वृद्धि हो सकती है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से विकास होने पर वह कम विकसित समीपवर्ती क्षेत्रों से प्रवासियों को आकर्षित कर सकता है, के लिए अंतर्रोधक बनना; और
- क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में जिनसे इन केन्द्रों की अपनी स्थापनओं के कुछ समय बाद इस क्षेत्र में शहकरीकरण का संतुलित पैटर्न बन पाएगा" ।

क्षेत्रीय योजना- 2021 में भी काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों के विकास की नीति को जारी रखा गया है। "दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों" संबंधी अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 22.03.2012 को हुई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 32वीं बैठक में रा.रा.क्षे. के लिए इस बोर्ड ने निम्नलिखित शहरों/कस्बों को काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों के रूप में अनुमोदित किया गया:

(i) हरियाणा में हिसार
(ii) उत्तर प्रदेश में बरेली
(iii) राजस्थान में कोटा

(iv) पंजाब में पटियाला

(v) मध्य प्रदेश में ग्वालियर

(vi) उत्तराखंड में देहरादून

(vii) उत्तर प्रदेश में कानपुर

बोर्ड की दिनांक 01.07.2013 को हुई 33वीं बैठक में जयपुर की भी रा.रा.क्षे. के काउंट-मैग्नेट क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है । इस समय रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 (च) के अनुसार 9 काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों की पहचान की गई है।

VII. योजना समिति

(क) गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 4 (1) और (2) के तहत एक योजना समिति के गठन का अधिदेश दिया गया है। बोर्ड के सदस्य सचिव इस योजना समिति के अध्यक्ष हैं। इस योजना समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास के मामलों से संबंधित	सदस्य
3	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, हरियाणा	सदस्य
4	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राजस्थान	सदस्य
5	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	सदस्य
7	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
8	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	सदस्य
9	निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा	सदस्य
10	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
11	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

(ख) सहयोजित सदस्य

I. वरिष्ठ सलाहकार (एचयूडी), योजना आयोग
II. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवास और शहरी विकास निगम
III. संयुक्त सचिव (यू.टी.),शहरी विकास मंत्रालय
IV. संयुक्त सचिव (आई.ए.),पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
V. मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(ग) योजना समिति के कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 9 में यथा उल्लेखित अनुसार योजना समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं

9 (1) समिति के कार्यो में समिति बोर्ड की सहायता करेगी:

(क) क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजनाएँ तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में समन्वयन करना।

(ख) उप क्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजनओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या वे क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हैं।

(2) यह समिति, जैसा जरूरी समझे बोर्ड को किसी उप क्षेत्रीय योजना अथवा किसी परियोजना योजना में संशोधन अथवा आशोधन करने की भी सिफारिश कर सकती है।

(3) समिति ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करेगी जो इसे बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं।

VIII. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने वर्ष 2021 तक के परिदृश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार की है जिसे 17.09.2005 को अधिसूचित किया गया था ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय योजना-2021 में अच्छी कृषि भूमि को बचाने और परिरक्षित करने संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यावरणिक रूप से परिरक्षित करने और भूमि व्यवस्था (सेटलमेंट) पद्धतियों,परिवहन, बिजली और पानी, सामाजिक अवसंरचना, आपदा प्रबंधन, धरोहर और पर्यटन जैसी भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं से परस्पर संबंधित नीतिगत ढॉचे को निर्धारित करने के लिए, जीवन स्तर में सुधार करने और भू-उपयोग के विवेकपूर्ण पैटर्न को सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण बस्तियों के सतत विकास हेतु एक बेजोड़ मॉडल व्यवस्था है।

इस योजना को उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एक वैश्विक उत्कृष्टता के क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। इस योजना का लक्ष्य क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है तथा (क) दिल्ली के आर्थिक विकास के आवेग को समाने में सक्षम प्रादेशिक बस्तियों की पहचान और विकास के द्वारा भावी वृद्धि के लिए समुचित आर्थिक आधार मुहैया करने; (ख) पहचान की गई ऐसी बस्तियों में संतुलित प्रादेशिक विकास हेतु मदद करने भू-उपयोग पैटर्नो के कारगर और सस्ता रेल तथा सड़क आधारित परिवहन नेटवर्क (व्यापक परविहन प्रणालियों सहित) को प्रदान करने; (ग) प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूतम करने; (घ) चुनिंदा शहरी बस्तियों को दिल्ली के समान परिवहन, विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज तथा जल निकासी जैसी शहरी बुनियादी सुविधाओं समेत विकसित करने; (ड़) वियुक्तिसंगत भू-उपयोग ढॉचा मुहैया करने और (च) जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस क्षेत्र के सतत् विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में, सभी उप क्षेत्रों के लिए आबादी का अनुमान वर्ष 2021 के लिए लगाया था । जनगणना-2011 के अनुसार वर्ष 2011 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबादी 460.69 लाख है जबकि क्षेत्रीय योजना-2021 में 486.19 लाख होने का अनुमान है।

क्षेत्रीय योजना-2021 में वर्ष 2011 के लिए उपक्षेत्रवार अनुमानित आबादी तथा जनगणना 2011के आंकड़ों के साथ इसकी तुलना में इसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख में)

क्रम सं.	उप क्षेत्र	क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार वर्ष 2011 के लिए अनुमानित आबादी	जनगणना 2011 के अनुसार आबादी
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली उप क्षेत्र	179.90	167.88

2	हरियाणा उप क्षेत्र	117.55	110.31
3	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	150.83	145.76
4	राजस्थान उप क्षेत्र	37.91	36.74
5	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	486.19	460.69

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, वे इस प्रकार हैं:-

- प्राकृतिक आापदाओं की आशंका और सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों समेत प्राकृतिक विशेषताओं की सावधानीपूर्वक जांच (एन आर एस सी, हैदराबाद) से उपग्रह से उभरे सुसंगत पैटर्न के अनुसार प्रादेशिक स्तर पर युक्ति संगत भू-उपयोग निर्धारित करना।
- आर्थिक कार्यकलापों को आकर्षित करने के लिए मेट्रो और क्षेत्रीय केन्द्रों का सशक्त विकास नोर्डो के रूप में विकास ।
- क्षेत्रीय परिवहन संपर्क लिंकेज और व्यापक यात्री प्रणाली प्रदान करना।
- दिल्ली के चारों ओर परिसरीय (पेरीफेरल) एक्सप्रेस मार्गो और आरबिटल रेल गालियारे का निमार्ण।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में मूलभूत शहरी बुनियादी सुविधाओं (परिवहन,विद्युत, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी) का विकास।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर आदर्श औघोगिक एस्टेटों, विशेष आर्थिक जोनों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में मेट्रो केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, सेवा केन्द्रों, केन्द्रीय गांवों और बुनियादी गांवों को शामिल करते हुए एक छः स्तरीय बस्ती पद्धति का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय योजना-2021 में निम्नलिखित के अनुसार 7 मेट्रो केन्द्रों (10 लाख और उससे की आबादी वाले) तथा 11 क्षेत्रीय केन्द्रों (3 से 10 लाख की आबादी वाले) का निम्नलिखित प्रस्ताव है:-

I	मेट्रो केन्द्र
1	फरीदाबाद-बल्लभगढ
2	गुडगाँव-मानेसर
3	गाजियाबाद-लोनी
4	नोएडा
5	सोनीपत-कुंडली

6	ग्रेटर नोएडा
7	मेरठ
II	क्षेत्रीय केन्द्र
1	बहादुरगढ़
2	पानीपत
3	रोहतक
4	पलवल
5	रेवाडी-धारूहेरा-बावल
6	हापुड-पिलखुआ
7	बुलंदशहर-खुर्जा
8	बागपत-बड़ौत
9	अलवर
10	ग्रेटर भिवाड़ी
11	शाहजहॉपुर-नीमराणा-बेहरोड़

इस क्षेत्र मे द्रुत शहरीकरण और विकास को देखते हुए यह क्षेत्र बेतरतीब अनियोजित विकास अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमणों के खतरे का सामना कर रहा है । बेतरतीब विकास को रोकने और अच्छी कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोगों में बदलने से बचाने के लिए ग्रामीण - शहरी सतत् विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कस्बों के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में निर्धारित नीतियों को अनुपालन करते हुए शहरी बस्तियों के साथ-साथ ग्रामीण बस्तियों के लिए विभिन्न स्तरों पर मास्टर योजनाएँ तैयार करने की अत्यंत जरूरत है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए यह भी अपेक्षित है कि सहभागी राज्य सरकारों और उनके संबंधित विभागों / एजेंसियों द्वारा आश्रय, पानी, सीवरेज, सीवेज परिशोधन, ठोस कचरा प्रबन्धन, जल निकासी, बिजली, परिवहन, आादि जैसी भौतिक सेवाओं/ बुनियादी और सामाजिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों/कार्यनीतियों/ परियोजनाओं की आवश्यकता है। सहभागी राज्य सरकारों और उनके संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं को भी समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित किए जाने की जरूरत है।

इसके अलावा, पानी और बिजली तथा सफाई जैसे बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा बढ़ाने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा नए दृष्टिकोणों और नवप्रवर्तन तकनीकों को अपनाने की जरूरत है । भू जल पुन: भरण और जल संग्रहण को भवन उप नियमों में शामिल करने के साथ-साथ जल पुन: भराव क्षेत्रों के संरक्षण के लिए सहभागी राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न

नगर योजना अधिनियमों में संशोधन किए जाने की जरूरत है । क्षेत्रीय योजना-2021 में विशेष रूप से तेजी से घट रहे प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन एवं जैव विविधता पर चिंता जताई गई है तथा इसका मुख्य कारण रा.रा. क्षे. का तीव्र शहरीकरण बताया है।

IX. सिंहावलोकन का वर्ष: 2014-15

वर्ष 2014-15 के दौरान शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलापों और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन

एक समन्वयन निकाय के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से नीतियों के कारगर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न पहल-प्रयास/कार्रवाइयां भी की हैं । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों तथा प्रस्तावों को सहभागी राज्य सरकारों/ एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा करने का कार्य प्रारंभ किया ।

सहभागी राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से गहन विचार विमर्श किया गया तथा क्षेत्रीय योजना-2021 के अंतिम संशोधित प्रारूप को "क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा और संशोधन" की कार्यशाला में सभी हितधारियों के समक्ष प्रस्तुति करण दिया गया था, जिससे सबकी संस्तुतियां एवं सुझाव प्राप्त किये जा सके । योजना समिति की दिनांक 06.06.2013 को हुई 61वीं बैठक में भी संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 के प्रारूप पर विचार-विमर्श हुआ जिसके पश्चात् दिनांक 01.07.2013 को हुई बोर्ड की 33वीं बैठक में इसका अनुमोदन किया एवं रा.रा.क्षे. यो. बोर्ड अधिनियम,1985 की धारा 12 (1) तथा रा.रा.क्षे. यो. बोर्ड नियम, 1985 के नियम 23 के अनुसार आम जनता केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों से सुझाव एवं आपत्तियां आंमत्रित की गई। आपत्तियों एवं सुझावों पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात् योजना समिति ने दिनांक 03.10.2013, 15.10.2013 तथा 20.12.2013 को संपन्न हुई अपनी 62वीं बैठक में बोर्ड को अपनी संस्तुतियां भेजी।

दिनांक 20.01.2014 को संपन्न हुई बोर्ड की 34वीं बैठक में योजना समिति की संस्तुतियों पर विचार विमर्श किया तथा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया । बाद में बोर्ड ने रा.रा.क्षे. यो. बोर्ड अधिनियम,1985 की धारा 13 तथा रा.रा.क्षे. यो. बोर्ड नियमों, 1985 23 के नियम 27 के अंतर्गत एनसीआर की संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 का मुद्रण एवं अधिसूचना का अनुमोदन किया ।

इसके पश्चात्, बोर्ड ने दिनांक 25.04.2014 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 पर पुन: चर्चा की तथा कुछ आशोधनों के साथ अनुमोदित किया। चूंकि तब के पर्यावरण एवं वन मंत्री द्वारा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 पर कई मुद्दे उठाए गए इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने निदेश दिए कि जब तक पर्यावरण एवं वन मंत्री द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान करके पीएमओ को एक अनुपालना रिपोर्ट न भेजी जाए, प्रस्तावित संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 पर कोई अंतिम निर्णय न लिया जाए । अत:बोर्ड तथा शहरी विकास मंत्रालय के सभी निर्णयों को सम्मिलित करने तथा पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों के पश्चात् दिनांक 23.12.2014 के यूओ नोट द्वारा मसौदा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 को एवं रा.रा.क्षे. यो. बोर्ड अधिनियम,1985 की धारा 13 के अंतर्गत प्रकाशन के अनुमोदन हेतु मंत्रालय भेजा गया ।

जवाब में, शहरी विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 31.03.2015 के पत्र के द्वारा मसौदा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा करने और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे-स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया आदि पर योजना में दिए गए दिशा निर्देशों के प्रभाव की जांच करने तथा संशोधित मसौदा अनुपालना रिपोर्ट के साथ भेजने का अनुरोध किया।

ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के अंतर्गत उपक्षेत्रीय योजनाओं का निर्माण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम-1985 की धारा 17 (1) के अंतर्गत "प्रत्येक भागीदार राज्य के भीतर उप-क्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना राज्य का तैयार करनी होगी तथा प्रत्येक संघ शासित प्रदेश के भीतर उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना संघ शासित प्रदेश को तैयार करनी होगी"।

प्रत्येक उपक्षेत्र की उपक्षेत्रीय योजना का निर्माण संबंधित राज्य सरकार करवा रही है। उपक्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है:

उप-क्षेत्र	स्थिति
उत्तर प्रदेश	उ.प्र. सरकारने उ. प्र. उपक्षेत्रीय योजना-2021 को दिनांक 31.12.2013 को छपवा दिया है तथा उसे www.awas.up.nic.in पर अपलोड कर दिया है।
हरियाणा	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की दिनांक 25.04.2014 को संपन्न विशेष बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार एनसीआर के हरियाणा उपक्षेत्र की उपक्षेत्रीय योजना-2021 पर समुक्तियों से हरियाणा सरकार को अवगत करा दिया गया था । अपने दिनांक 28.05.2014 के पत्र द्वारा हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि हरियाणा की उपक्षेत्रीय योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा उसे वेबसाइट (www.tcpharyana.gov.in) पर लोड भी किया जा चुका है।
राजस्थान	राजस्थान सरकार द्वारा मसौदा उपक्षेत्रीय योजना-2021 का प्रकाशन करवाया गया ताकि आम जनता एवं राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए जा सकें । बोर्ड सचिवालय ने दिनांक 30.06.2014 के पत्र द्वारा योजना पर अपनी समुक्तियां एवं सुझाव भेज दिए हैं। इसके पश्चात् दिनांक 30.03.2015 के पत्र द्वारा राजस्थान सरकार ने राजस्थान उपक्षेत्र की मसैदा उपक्षेत्रीय योजना-2021 को बोर्ड के विचारार्थ भेजा है।
रा.रा.क्षे. दिल्ली	बोर्ड ने तय किया है कि दिल्ली की महायोजना-2021,जो कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों कें अंतर्गत बनाई गई है, को ही दिल्ली की उपक्षेत्रीय योजना मान लिया जाए । तथापि, इस महायोजना में अंतर्राजीय सम्बद्धता के मुद्दों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी

क) मध्यवर्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर) तक मेट्रो रेल का विस्तार

सीएनसीआर यथा हरियाणा उपक्षेत्र में गुड़गांव,फरीदाबाद, एवं बहादुरगढ़, उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र नोएडा एवं गाजियाबाद (वैशाली) में दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी के लिए मामला दिल्ली मेट्रो के साथ उठाया गया । दिल्ली मैट्रो के विस्तार के माध्यम से इन सीएनसीआर शहरों को मॉस कम्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। दिल्ली-नोएडा,

दिल्ली-गुड़गांव तथा दिल्ली-गाजियाबाद (वैशाली) की मेट्रो लाइन शुरू की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त गुड़गांव में रैपिड मैट्रो शुरू की जा चुकी है। बदरपुर-फरीदाबाद-बल्लभगढ तथा मुण्डका-बहादुरगढ़ मैट्रो लाइन पर कार्य चल रहा है।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली

एकीकृत परिवहन योजना के अध्ययन के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यात्रियों के लिए तेज तथा कार्यकुशल सामूहिक परिवहन की संस्तुति दी गई, जिसमें निम्नलिखित 8 रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कोरीडोर का प्रस्ताव रखा गया:

प्राथमिकता का क्रम	कोरीडोर	लंबाई (कि.मी.)
1)	दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ	90*
2)	दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर	180*
3)	दिल्ली-सोनीपत-पानीपत	110*
4)	दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ-पलवल	60.0*
5)	गाजियाबाद-खुर्जा	83.0
6)	दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक	70.0
7)	गाजियाबाद-हापुड़	57.0
8)	दिल्ली-शहादरा-बड़ौत	56.0

*व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार संशोधित

रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्य समिति ने सचिव, (शहरी विकास) की अध्यक्षता में निम्नलिखित कोरीडोर के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी है ।

प्राथमिकता का क्रम	कोरीडोर	लंबाई (कि.मी.)
1)	दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ	90*
2)	दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर	180*
3)	दिल्ली-सोनीपत-पानीपत	110*

*व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार

तीनों प्राथमिकता प्राप्त रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कोरीडोर की व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य चल रहा है तथा रिपोर्ट की प्रस्तुति की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	कोरीडोर	आज तक प्रस्तुत रिपोर्ट
1)	दिल्ली-सोनीपत-पानीपत (111 कि.मी.)	• शुरूआती रिपोर्ट • वर्तमान स्थिति रिपोर्ट • यात्रा मांग पूर्वानुमान रिपोर्ट • कोरीडोर संरेखन (अलाइनमेंट) रिपोर्ट • वयवहार्यता अध्ययन
2)	दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर (180 कि.मी.)	
3)	दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ (90 कि.मी.)	

उपरोक्त तीनों कोरीडोर की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अध्ययन पूर्ण कर लिए गए है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कैबिनेट द्वारा रा.रा.क्षे. परिवहन निगम के गठन को 11.07.2013 को मंजूरी मिल गई थी जिसके साथ रू 100 करोड़ की प्रारंभिक बीज पूंजी भी मिली थी जिसे विकास, कार्यान्वयन, वित्त, पोषण, एवं एनसीआर में आरआरटीएस की अन्य आवश्यकताओं हेतु प्रयोग में लाया जाना था। आरआरटीएस एनसीआर शहरों को सुविधाजनक एवं द्रुत यातायात साधन प्रदान करेगा ।

इसके आगे का आरआरटीएस संबंधित कार्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा किया जाएगा।

मैमोरंडम आफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिनांक 01.08.2013 को शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड, रा.रा.प्र. क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार तथा उ.प्र. सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए तथा 21.08.2013 को 100 करोड़ रूपए की प्रारंभिक अंश पूंजी के साथ एनसीआरटीसी को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत निगमित किया गया। सभी स्टेकहोल्डरों का इक्विटी योगदान इस प्रकार है:

केन्द्रीय सरकार	इक्विटी शेयर
शहरी विकास मंत्रालय	22.5%
रेल मंत्रालय	22.5 %
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5%
राज्य सरकारें	12.5%
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	12.5%
हरियाणा सरकार	12.5%
उत्तर प्रदेश सरकार	12.5%
राजस्थान सरकार	12.5%

आरआरटीएस की वास्तविक लागत और वित्तपोषण योजना जिसमें और विकास सम्मिलित है ट्रांजिट लक्षित विकास (टीओडी) के माध्यम से डीपीआर में पूर्णत: अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

ग) सड़क नेटवर्क

1 दिल्ली के आसपास पेरीफेरल एक्सप्रेसवे

पांच राष्ट्रीय राजमार्ग, अर्थात् रा.रा.-1, रा.रा.-2, रा.रा.-8, रा.रा.-10 तथा रा.रा.-24 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के रिंग रोड पर आकर मिलते हैं जिसके कारण न केवल रिंग रोड बल्कि आसपास की बड़ी सड़कों पर भी यातायात कठिनाई से गुजरता है । जब ये राजमार्ग दिल्ली सड़क तंत्र का हिस्सा बन कर सामने आते हैं तो वे इस तंत्र के मुख्य मार्ग बन जाते हैं। यातायात में कठिनाई अधिकतर उन वाहनों के कारण होती है जो दिल्ली के नहीं है परन्तु कोई बाईपास न होने के कारण एक राजमार्ग से दूसरे पर जाने के लिए दिल्ली की सड़कों का प्रयोग कर रहे हैं।

दिल्ली को बाईपास प्रदान करने के लिए दिल्ली के आसपास पेरीफेरल एक्सप्रेसवे बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था । इस बाईपास का पश्चिमी हिस्सा रा.रा.-1 से कुण्डली में, रा.रा.-2 से पलवल में तथा रा.रा.-8, रा.रा.-10 से गुजरते हुए दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में मिलेगा । इसे पश्चिमी पेरीफेरल कहा जाएगा। बाईपास का पूर्वी आधा हिस्सा उत्तर में रा.रा.-1 कुण्डली में, दक्षिण में रा.रा.-2 से पलवल में तथा रा.रा.-24 से गुजरते हुए दिल्ली के पूर्वी हिस्से में मिलेगा । इसे पूर्वी पेरीफेरल कहा जाएगा।

पेरीफेरल एक्सप्रेसवे	स्थिति
वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे	इसका कार्यान्वयन हरियाणा सरकार द्वारा और प्रबोधन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग द्वारा किया जा रहा है, जोकि इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। यह कार्य हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 31.01.2006 को 23 वर्ष 9 माह (निर्माण अवधि के तीन वर्षो सहित) की अवधि के लिए प्रदान किया गया था । इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 135.65 कि.मी. है।
ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे	इस परियोजना का कार्यान्वयन एनएचएआई, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली गई है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

2. दिल्ली-मेरठ-एक्सप्रेसवे

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण के प्रस्ताव को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष रखा गया था जिसने इसे एनएचडीपी-VI का भाग मान कर इसके कार्यान्वयन की पहल कर दी है।

3. राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजमार्ग-1,2,8,10,11ए, 24, 58,71, 71-ए, 71-बी, 91, 93, 119, 235 तथा 236 के भाग तथा राज्य राजमार्ग एवं सड़के मिलजुल कर एक सड़क तंत्र का निर्माण करती है। क्षेत्रीय योजना-2021 में इन राष्ट्रीय राजमार्गो का उन्नयन प्रस्तावित है। बोर्ड के प्रयासों के पश्चात् इन राजमार्गो के उन्नयन की दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्षेत्रीय योजना-2021 में इन राजमार्गो को 6 लेन अथवा इससे अधिक लेनों को बनाने का प्रस्ताव है।

ख. <u>बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 8 (ड) के तहत उक्त बोर्ड व्यापक स्कीमों का चयन और अनुमोदन कर सकता है और उनके कार्यान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध करा सकता है। बोर्ड उक्त धारा के प्रावधानों के तहत इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दायरे में एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध करा रहा है। बोर्ड घटक राज्यों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना की अनुमानित लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्य/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप में वहन करती है।

31 मार्च 2015, की स्थिति के अनुसार, बोर्ड ने 19738 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली291 बुनियादी सुविधा विकास परियोनाओं को 9257 करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृत किया । बोर्ड ने मार्च 2015 तक, 7057 करोड़ रूपये की ऋण राशि जारी की है। पूर्ण तथा जारी परियोजनाओं के उप क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे तालिका-1 में दिए गए है :

तालिका-1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के उप क्षेत्रवार ब्यौरे (31 मार्च,2015 की स्थिति के अनुसार)

(रूपये करोड़ो में)

क्रम सं.	राज्य	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	एनसीआपीबी द्वारा जारी ऋण
1	राजस्थान [सीएमए-कोटा समेत]	प्रक्रियाधीन	8	593	438	200
		पूर्ण	28	1371	406	398
	उपयोग		36	1964	844	598
2	उत्तर प्रदेश [सीएमए-बरेली समेत]	प्रक्रियाधीन	8	735	501	169
		पूर्ण	48	1770	700	559
	उपयोग		56	2505	1201	728
3	हरियाणा [सीएमए-हिसार समेत]	प्रक्रियाधीन	57	8587	3406	2468
		पूर्ण	131	5742	3209	2754
	उपयोग		188	14329	6615	5222
4	एनसीटी- दिल्ली	प्रक्रियाधीन	1	102	76	20
		पूर्ण	2	521	310	310
	उपयोग		3	623	386	330
5	पंजाब में सीएमए पटियाला	प्रक्रियाधीन	1	60	45	45
		पूर्ण	1	19	1	1
	उपयोग		2	79	46	46
6	मध्य प्रदेश में सीएमए-ग्वालियर	प्रक्रियाधीन	2	104	64	32
		पूर्ण	4	134	101	101
	उपयोग		6	238	165	133
	कुल	प्रक्रियाधीन	77	10181	4530	2934
		पूर्ण	214	9557	4727	4123
	कुल जोड		291	19738	9257	7057

अनुलग्नक-क के अनुसार बोर्ड द्वारा वित्त पोषित 291 परियोजनाओं में से प्राप्त सूचना के अनुसार 214 परियोजनाएं पूरी हो गई है और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों मे है। स्वीकृत ऋण ऋण की दृष्टि से परियोजनओं का क्षेत्रवार सार क्रमश: चित्र-1 में दिया गया है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का उप क्षेत्रवार सार (31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार)

चित्र-1

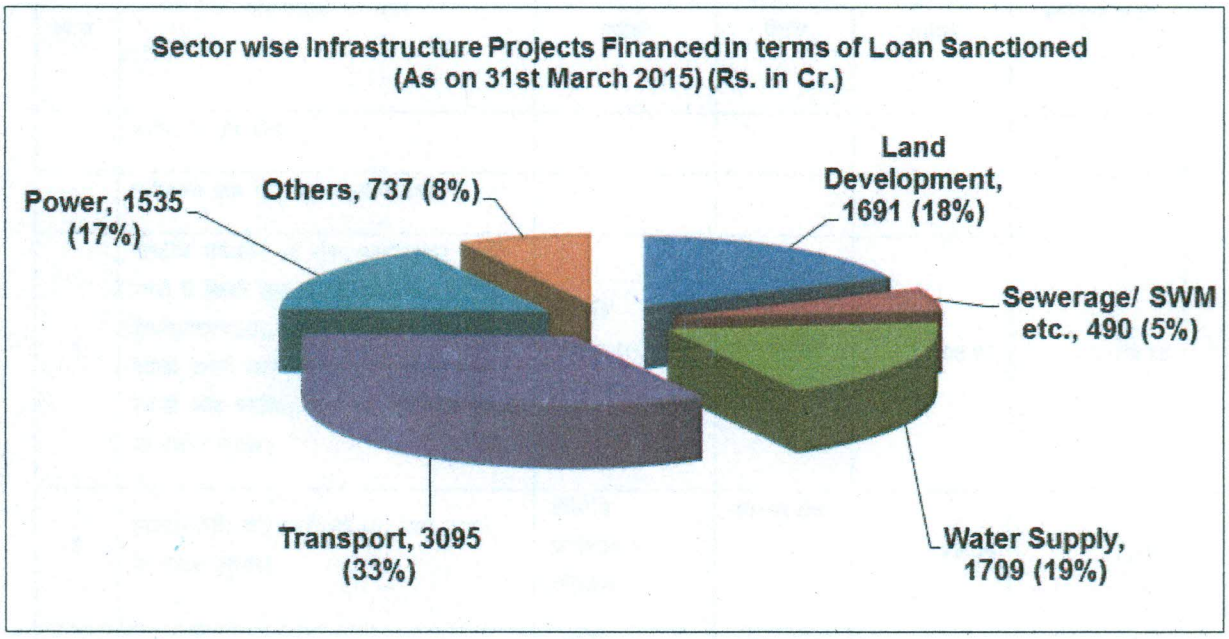

अनुलग्नक-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण सहायता प्राप्त अवसंरचना परियोजनाओं की सूची (मार्च 2015 तक की स्थिति)

(रुपए करोड मे

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	वास्तविक रुप से जारी ऋण की राशि
	हरियाणा उप क्षेत्र					
	परिवहन क्षेत्र परियोजना (26 संख्या)					
1	राष्ट्रीय राजमार्ग -8 तक, शाहजहांपुर रेवाडी मार्ग 6 किमी तक, रेवाडी-नारनौल मार्ग(एसएच26), रेवाडी मोहिंदरगढ मार्ग, रेवाडी दादरी मार्ग प्रस्तावित बाईपास तक रेवाडी कोट कासिम मार्ग को चार लेन बनाने के द्वारा सुधार।	लोनिवि (बीएंडआर), हरियाणा	नवम्बर-08	106.07	79.55	67.55
2	झज्जर धौर बेरी मार्ग को चार लेन बनाने के द्वारा सुधार।	लोनिवि (बीएंडआर), हरियाणा	नवम्बर-08	29.34	22.00	20.69
3	दिघल बेरी झजगढ मार्ग को चार लेन बनाने के द्वारा सुधार।	लोनिवि (बीएंडआर), हरियाणा	नवम्बर-08	42.86	32.14	24.17
4	कालूका से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 तक, शिवराज माजरा से संगवाडी, बारियावास से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 तक, रोजका से असादपुर, बीकानेर से गुरुका वास, बरास्ता रेवाडी दादरी मार्ग रेवाडी झज्जर मार्ग से रेवाडी नारनौल मार्ग तक नए मार्गों का निर्माण	लोनिवि (बीएंडआर), हरियाणा	नवम्बर-08	41.4	31.05	25.81
5	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उप क्षेत्र – बहादुरगढ छाहरा दुजाना बेरीकलानौर मार्ग के झज्जर सर्किल में सडकों के सुधार और निर्माण के लिए परियोजना	लोनिवि (बीएंडआर), हरियाणा	नवम्बर-08	128.65	96.49	76.45

6	हरियाणा उप क्षेत्र के झज्जर जिले में अन्य जिला मार्गों (ओडीआर) का सुधार	लोनिवि (बीएंडआर), हरियाणा सरकार	नवम्बर-09	169.98	127.48	117.89
7	गुडगांव जिला (अगस्त से 10 करोड की कमी की गई) में 5 मार्गों का सुधार	लोनिवि (बीएंडआर)	नवम्बर-09	90.36	67.77	44.01
8	हरियाणा उप क्षेत्र के गुडगांव जिले में अन्य जिला मार्गों (ओडीआर) का सुधार	लोनिवि (बीएंडआर)	नवम्बर-09	31.57	23.68	22.99
9	नीपत जिला में एल/सी सं. 52-सी पर दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर पानीपत जटाल मार्ग पर 2 लेन के आरओबी का निर्माण	लोनिवि (बीएंडआर),	दिस-12	31.85	13.26	10.63
10	एल/सी सं. 553 पर दिल्ली पलवल मथुरा रेलवे लाइन पर होडल हसनपुर मार्ग पर 2 लेन के आरओबी का निर्माण	हरियाणा	दिस-12	24.10	13.76	6.88
11	एल/सी सं. 29 पर दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर चीनी मिल के समीप सोनीपत पुरखास मार्ग पर 2 लेन आरओबी	लोनिवि (बीएंडआर),	दिस-12	40.37	16.42	8.21
12	हरियाणा के झज्जर जिले में बेरी पर बाईपास का निर्माण	हरियाणा	दिस-12	48.82	36.62	0.00
13	हरियाणा के झज्जर जिले में छहारा पर बाईपास का निर्माण	लोनिवि (बीएंडआर),	दिस-12	47.16	35.37	21.22
14	हरियाणा के झज्जर जिले में सुबाना पर बाईपास का निर्माण	हरियाणा	दिस-12	25.18	18.89	0.00
15	कोसली, हरियाणा पर बाईपास का निर्माण	लोनिवि (बीएंडआर),	दिस-12	27.68	20.76	15.46
16	गोहाना लखन माजरा भिवानी मार्ग को 0.000 से 37.700 किमी तक जिला रोहतक सीमा सडक तक चौडा करना और सुदृढ बनाना	लोनिवि (बीएंडआर),	दिस-12	99.77	74.83	59.90
17	यूपी सीमा सोनीपत गोहाना तक जिला सोनीपत सीमा मार्ग को 11.600 से 74.000 किमी तक चौडा करना और सुदृढ बनाना	हरियाणा	दिस-12	176.26	132.20	109.25

18	गुडगांव-चंदू-बादली-बहादुरगढ मार्ग को चौडा करना और दर्जा उन्नत करना	लोनिवि (बीएंडआर),	दिस-12	244.10	183.08	109.85
19	हरियाणा के झज्जर जिले में बहादुरगढ झज्जर मार्ग को चौडा करना और सुदृढ बनाना	हरियाणा	दिस-12	156.52	117.39	98.64
20	झज्जर जिले में छछक वास बाईपास का निर्माण	लोनिवि (बीएंडआर),	दिस-13	53.05	39.79	
21	छहारा बाइपास (दक्षिणी ओर), झज्जर का निर्माण	लोनिवि (बीएंडआर),	दिस-13	26.89	20.16	
22	सोनीपत गन्नौर मार्ग से सोनीपत गोहाना मार्ग तक सोनीपत बाईपास चरण- II का सुधार/निर्माण	हरियाणा	दिस-13	73.93	55.45	
23	रोहतक जिले में दक्षिणी बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग-10 से राष्ट्रीय राजमार्ग-71 तक मार्ग का निर्माण	लोनिवि (बीएंडआर),	दिस-13	53.25	39.94	
24	झज्जर/गुडगांव जिला में झज्जर फरुखनगर-गुडगांव मार्ग को चार लेन का मार्ग बनाना	हरियाणा	दिस-13	290.84	218.13	
25	संघी-छिछराना – मिर्जापुर खेरी –मदीना का जीएलएमबी मार्ग तक हरियाणा राज्य के रोहतक/सोनीपत जिला में 0.00 से 11.078 किमी तक सुधार	लोनिवि (बीएंडआर),	दिस-13	35.97	26.98	
26	रेवाडी प्रभाग (हेलीमंडी से पहलावास मार्ग, कोसली – गुरयानी से पहलावास राष्ट्रीय राजमार्ग-71 और दहिना-जातुसाना मार्ग) में 3 मार्गों को उन्नत दर्जे का बनाना	लोनिवि (बीएंडआर), हरियाणा	दिस-13	104.48	78.36	
				2200.45	**1621.55**	**839.59**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजनाएं (12 संख्या)					
27	रोहतक नगर में सीवरेज प्रणाली का विकास और दो एसटीपी का निर्माण	पीएचईडी हरियाणा	फरवरी-06	44.25	33.20	33.20
28	बावल, जिला रेवाडी में सीवरेज प्रणाली का विस्तार एवं सीवेज शोधन	पीएचईडी हरियाणा	अक्तू-07	6.29	4.71	4.71

29	कोसली, जिला रेवाडी के गांव कोसली, भाकली और कोसली के रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में सीवरेज की सुविधाएं उपलब्ध करना	पीएचईडी हरियाणा	अक्तू-07	8.70	6.53	5.22
30	गन्नौर, जिला सोनीपत में सीवरेज प्रणाली का विस्तार और सीवेज शोधन	पीएचईडी हरियाणा	फरवरी-08	15.08	11.31	11.31
31	खरखौदा नगर, जिला सोनीपत के लिए सीवरेज प्रणाली और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	फरवरी-08	6.50	4.88	4.00
32	गोहाना नगर, जिला सोनीपत के लिए सीवरेज प्रणाली और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	जून-09	16.00	9.18	7.98
33	पटौदी नगर, गुडगांव जिला के लिए सीवरेज प्रणाली और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	14.50	10.87	8.27
34	मेवात जिले के पुनहाना नगर के लिए सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	12.50	9.37	7.73
35	मेवात जिले के नूह नगर के लिए सीवरेज प्रणाली और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	10.27	7.71	7.01
36	पलवल जिले के हाथिन नगर के लिए सीवरेज प्रणाली और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	12.3	9.23	8.00
37	फारुख नगर कस्बा, गुडगांव जिला के लिए सीवरेज प्रणाली और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	नव-11	11.48	8.61	2.58
38	सोनीपत कस्बा, हरियाणा में वर्षा जल नालों का निर्माण	पीएचईडी हरियाणा	दिस-12	21.72	16.29	12.72

				179.58	**131.88**	**112.73**
	जल क्षेत्र की परियोजनाएं (10 संख्या)					
39	मेवात क्षेत्र चरण-I, हरियाणा के लिए ग्रामीण पेय जल आपूर्ति में वृद्धि, नवम्बर 09 में संशोधित	पीएचईडी हरियाणा	नव 04 नव 09 में संशोधित	300.49	225.36	217.58
40	रेवाडी कस्बे, जिला रेवाडी की पश्चिमी ओर के नए विकसित क्षेत्र दूसरे चरण के जल निर्माण कार्य	पीएचईडी हरियाणा	अक्तू-07	16.65	12.49	12.49
41	खरखौदा कस्बा, जिला सोनीपत में जल आपूर्ति की वृद्धि और विस्तार	पीएचईडी हरियाणा	अक्तू -07	13.91	10.43	10.39
42	गोहाना कस्बे में जल आपूर्ति की वृद्धि	पीएचईडी हरियाणा	नव-08	42.45	25.84	24.67
43	सोहना कस्बे और रोजकामेओ औद्योगिक क्षेत्र,सोहना में जल आपूर्ति	पीएचईडी हरियाणा	नव-08	65.34	24.50	24.50
44	नलहर मेडिकल कालेज एवं नूह कस्बे के लिए जल आपूर्ति स्कीम	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	105.61	79.21	23.76
45	स्मालखा कस्बा जिला पानीपत के लिए जल आपूर्ति स्कीम उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	11.94	8.96	7.65
46	सोनीपत जिले में सोनीपत कस्बे की विभिन्न अनुमोदित कालोनियों में वितरण पाइपलाइन उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	नव-09	8.51	6.38	6.38
47	पटौदी और समीप के हैलीमंडी कस्बे और इसके समीपस्थ सात गांवों के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि	पीएचईडी हरियाणा	नव-11	75.10	56.32	16.90
48	गुडगांव जिले के फरुखनगर कस्बे और पांच गावों के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि	पीएचईडी हरियाणा	नव-11	28.78	21.58	3.13

				668.78	**471.08**	**347.45**
	भूमि विकास क्षेत्र की परियोजनाएं (1 संख्या)					
49	औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 34-35, गुडगांव, हरियाणा का विकास	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम	सित-05	366.65	86.00	86.00
				366.65	**86.00**	**86.00**
	विद्युत क्षेत्र की परियोजनाएं (3 संख्या)					
50	एनसीआर के हरियाणा उप क्षेत्र में विद्युत अवसंरचना सृजन के लिए परियोजना	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम	जुलाई-07	117.45	82.01	82.01
51	हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में विद्युत अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए स्कीम – ट्रांसमिशन कार्यों की वृद्धि	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम	नव-08	79.43	59.58	59.58
52	एनसीआर क्षेत्र डीएचबीवीएन के अंतर्गत एचवीडीएस/एलवीडीएस एवं मीटरों के पुन:आबंटन के लिए स्कीम	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	नव-08	138.47	103.85	103.85
				335.35	**245.44**	**245.44**
	सामाजिक क्षेत्र(3 संख्या)					
53	जिला मेवात, हरियाणा में अध्यापन अस्पताल सहित मेडीकल कालेज का निर्माण	स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा	जून-09	318.91	239.18	239.18
54	सांपला, रोहतक जिला, हरियाणा में पॉलीटेक्नीक की स्थापना	डीटीई तकनीकी शिक्षा गोह	जून-09	22.00	13.22	13.22
55	रोहतक में तकनीकी संस्थानों की स्थापना	डीटीई तकनीकी शिक्षा गोह	मई-10	197.00	67.50	67.50
				537.91	**319.90**	**319.90**
	हरियाणा उप योग (55 संख्या)			**4288.71**	**2875.84**	**1951.12**

	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र					
	भूमि विकास क्षेत्र (2 संख्या)					
56	गंगा नगर आवासीय स्कीम, बुलंदशहर	बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण	नव-04 / मई-10	69.14	48.09	35.09
57	हापुड में आनंद विहार आवासीय स्कीम	हापुड पिलखुआ विकास प्राधिकरण	अक्तू-07	178.40	133.80	50.00
				247.54	**181.89**	**85.09**
	परिवहन क्षेत्र की परियोजना (1 संख्या)					
58	ट्रांसपोर्ट नगर स्कीम, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण	नव-04	33.71	20.65	17.79
				33.71	**20.65**	**17.79**
	जल क्षेत्र की परियोजना (2 संख्या)					
59	डब्ल्यूटीपी साइट से मास्टर जलाशय तक पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) निर्मल जल मैन पर देहरा (गाजियाबाद) पर इनटेक से डब्ल्यूटीपी साइट तक रॉ वाटर कन्वेंस मैन	ग्रे नोएडा	अग-13	183.19	137.39	14.00
60	देहरा (गाजियाबाद) पर प्राथमिक शोधन निर्माण कार्य, पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल शोधन संयंत्र और सम्बद्ध निर्माण कार्य	ग्रे नोएडा	अग-13	121.48	87.16	11.00
				304.67	**224.55**	**25.00**

	सीवरेज क्षेत्र की परियोजना (2 संख्या)					
61	इकोटेक--III, ग्रेटर नोएडा में 20 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	ग्रे नोएडा	अग-13	28.15	21.10	2.25
62	इकोटेक--II, ग्रेटर नोएडा में 15 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	ग्रे नोएडा	अग-13	21.17	15.87	2.00
				49.32	**36.97**	**4.25**
	उप्र उप योग (7 संख्या)			**635.24**	**464.06**	**132.13**
	राजस्थान उप क्षेत्र (7 संख्या)					
	विद्युत क्षेत्र (1 संख्या)					
63	राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र अर्थात अलवर जिला (6 स्कीमों सहित) में ईएचवी ट्रांसमिशन स्कीमें	आरआरवीपीएनएल	मई-10	125.98	88.18	88.18
				125.98	**88.18**	**88.18**
	जल क्षेत्र(5 संख्या)					
64	अलवर जल आपूर्ति ग्रेड उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	174.86	131.14	0.00
65	तिजारा जल आपूर्ति ग्रेड उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	16.46	12.35	0.00
66	राजगढ जल आपूर्ति ग्रेड उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	20.24	15.18	0.00
67	बहरोर जल आपूर्ति ग्रेड उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	26.02	19.51	0.00

68	भिवाडी जल आपूर्ति सुधार परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	40.69	30.52	1.69
				278.27	**208.70**	**1.69**
	अन्य (1 संख्या)					
69	अलवर जिला में सौर लालटेन रिचार्जिंग स्टेशनों सहित सोलर बस शेल्टर	यूआईटी अलवर	दिस-12	7.22	5.00	2.00
				7.22	**5.00**	**2.00**
	कुल (राजस्थान)			**411.47**	**301.88**	**91.87**
	दिलली उप क्षेत्र (1 संख्या)					
	अन्य (1 संख्या)					
70	ईडीएमसी द्वारा शाहदरा दक्षिण जोन में कडकडडूमा संस्थात्मक क्षेत्र में बहु-मंजिले कार्यालय भवन का निर्माण	ईडीएमसी	दिस-13	101.65	76.24	**20.00**
	योग(दिल्ली)			**101.65**	**76.24**	**20.00**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र					
	पंजाब में परियोजाएं – सीएमए कस्बा पटियाला					
	पटियाला में सीवर क्षेत्र (1 संख्या)					
71	पटियाला में जल आपूर्ति, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विस्तार एवं वृद्धि	पटियाला शहरी विकास प्राधिकरण	सित-02	59.93	44.95	44.95
	पटियाला में कुल सीवर सीवर क्षेत्र (1 संख्या)			59.93	44.95	44.95
	पंजाब में कुल परियोजनाएं - सीएमए कस्बा पटियाला (1 संख्या)			**59.93**	**44.95**	**44.95**
	उप्र सीएमए कस्बा बरेली में परियोजनाएं					

	बरेली में भूमि विकास क्षेत्र (1 संख्या)					
72	बरेली में राम गंगा नगर आवासीय स्कीम	बरेली विकास प्राधिकरण	दिस-04	99.37	37.00	37.00
	उप्र सीएमए कस्बा बरेली में परियोजनाएं (1 संख्या)			**99.37**	**37.00**	**37.00**
	हरियाणा में परियोजनाएं - सीएमए कस्बा हिसार					
	हिसार में विद्युत क्षेत्र (2 संख्या)					
73	हिसार जिला, हरियाणा में 1200 एमडब्ल्यू (2 x 600 एमडब्ल्यू) के लिए चरण-1 के अंतर्गत कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना	हरियाणा पॉवर जेनरेशन कार्पोरेशन लि.	फर-07	4258.65	500.00	500.00
74	हिसार में वितरण नेटवर्क के सब ट्रांसमिशन का सुधार एवं ग्रेड उन्नयन	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	नव-08	40.01	30.01	16.50
	हरियाणा में कुल परियोजनाएं – सीएमए कस्बा हिसार (2 संख्या)			**4298.66**	**530.01**	**516.50**
	राजस्थान में परियोजनाएं – सीएमए कस्बा कोटा					
	कोटा में जल क्षेत्र (1 संख्या)					
75	कोटा, राजस्थान में जल आपूर्ति की वृद्धि	यूआईटी कोटा	अग-11	181.77	136.33	108.45
	कोटा में कुल जल क्षेत्र (1 संख्या)			181.77	136.33	108.45
	राजस्थान में कुल परियोजनाएं – सीएमए कस्बा कोटा (1 संख्या)			***181.77***	***136.33***	***108.45***
	मध्य प्रदेश में परियोजनाएं - सीएमए कस्बा एसएडीए ग्वालियर					
	भूमि विकास परियोजनाएं (1 संख्या)					
76	एसएडीए, ग्वालियर में आवासीय स्कीमों का अवसंरचनात्मक विकास	एसएडीए, ग्वालियर	नव-09	76.07	42.05	31.54
	सीवरेज (1 संख्या)			**76.07**	**42.05**	**31.54**
77	एसएडीए, ग्वालियर के लिए सीवरेज स्कीम और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	एसएडीए, ग्वालियर	नव-11	28.38	21.28	0.00
				28.38	**21.28**	**0.00**

	सीएमए कस्बा ग्वालियर में कुल परियोजनाएं (2 संख्या)			104.45	63.33	31.54
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र - कुल (7 संख्या)			4744.18	811.62	738.44
	योग			10181.26	4529.65	2933.56

(ग) वर्ष के दौरान प्रदान किए गए ऋण

क. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान संघटक राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों का 32 प्रक्रियाधीन परियोजनाओं के लिए नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार रुपए 237.91 करोड का ऋण प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:

(रुपए लाख में)

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधार लेने वाली एजेंसी	परियोजना की श्रेणी	स्वीकृत ऋण
1	झज्जर जिला, हरियाणा (एडीबी)में अन्य जिला सडकों (ओडीआर) का सुधार	16998.00	लोनिवि(बीएंड आर), हरियाणा	मार्ग	**1867.00**
2	डब्ल्यूटीपी साइट से मास्टर जलाशय तक पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) निर्मल जल मैन पर देहरा (गाजियाबाद) पर इनटेक से डब्ल्यूटीपी साइट तक रॉ वाटर कन्वेंस मैन	18319.00	ग्रे नोएडा, उ.प्र.	जल आपूर्ति	**1400.00**
3	देहरा (गाजियाबाद) पर प्राथमिक शोधन निर्माण कार्य, पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल शोधन संयंत्र और सम्बद्ध निर्माण कार्य	121.48	ग्रे नोएडा	जल आपूर्ति	**1100.00**

4	इकोटेक--III, ग्रेटर नोएडा में 20 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	2815.00	ग्रे नोएडा	सीवरेज	**225.00**
5	इकोटेक--II, ग्रेटर नोएडा में 15 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	2117.00	ग्रे नोएडा	सीवरेज	**200.00**
6	पटौदी और हैलीमंडी कस्बे(चरण-1), गुडगांव जिला के लिए सीवरेज स्कीम और जल शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	1272.00	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	**313.88**
7	झज्जर जिला हरियाणा उप क्षेत्र में विद्यमान 2किमी सडक (5.68किमी) के सुदृढीकरण के साथ नया निर्माण) बादली बाइपास 0-5.68 का निर्माण	4913.00	लोनिवि(बीएंड आर), हरियाणा	मार्ग	**300.00**
8क	हाथिन कस्बा, पलवल जिला के लिए सीवरेज स्कीम और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	1230.36	पीएचईडी हरियाणा	सीवरेज	**322.97**
8ख	हाथिन कस्बा, पलवल जिला के लिए सीवरेज स्कीम और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	1230.36	पीएचईडी हरियाणा	सीवरेज	**200.00**
9	पुनहाना कस्बा, मेवात के लिए सीवरेज स्कीम उपलब्ध कराना	1249.83	पीएचईडी हरियाणा	सीवरेज	**328.08**
10	हरियाणा उप क्षेत्र में झज्जर धौर बेरी मार्ग का सुधार	2934.00	लोनिवि(बीएंड आर), हरियाणा	मार्ग	**318.50**
11	दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर पानीपत जातल मार्ग पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	3185.00	लोनिवि(बीएंड आर), हरियाणा	मार्ग	**400.00**

12	हरियाणा के झज्जर जिले में बहादुरगढ झज्जर मार्ग को चौडा करना और सुदृढीकरण	15652.00	लोनिवि(बीएंड आर), हरियाणा	मार्ग	**2500.00**
13	भिवाडी जल आपूर्ति सुधार परियोजना	4069.00	पीएचईडी, राजस्थान सरकार	जल आपूर्ति	**169.00**
14	जिला मेवात, हरियाणा में शिक्षण अस्पताल सहित मेडीकल कालेज का निर्माण	31891.00	मेडीकल विभाग, हरियाणा	सोशल इंफ्रा.	**1164.00**
15	ईडीएमसी द्वारा शाहदरा दक्षिणी जोन में कडकडडूमा संस्थात्मक क्षेत्र में बहु-मंजिले कार्यालय भवन का निर्माण	10165.00	ईडीएमसी दिल्ली	कार्यालय भवन	**2000.00**
16	बाबल, जिला रेवाडी में सीवरेज प्रणाली और सीवरेज शोधन का विस्तार	629.07	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	**93.56**
17	सोनीपत जिला (एडीबी) में पांच मार्गों का सुधार एवं चौडा करना	12540.00	लोनिवि(बीएंड आर), हरियाणा	मार्ग	**2320.00**
18	स्मालखा कस्बा, हरियाणा के लिए सीवरेज प्रणाली और एसटीपी उपलब्ध कराना	810.11	पीएचईडी हरियाणा	सीवरेज	**39.75**
19	गोहाना कस्बे में जल आपूर्ति की वृद्धि	4245.00	पीएचईडी हरियाणा	जल आपूर्ति	**103.74**
20	पटौदी जिला गुडगांव में सीवरेज स्कीम और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	1449.96	पीएचईडी हरियाणा	सीवरेज	**187.00**
21	कोसली, जिला रेवाडी, हरियाणा में बाइपास का निर्माण	2768.00	लोनिवि(बीएंड आर), हरियाणा	मार्ग	**300.00**
22	यूपी सीमा सोनीपत गोहाना तक जिला सोनीपत सीमा मार्ग को	17626.00	लोनिवि(बीएंड आर), हरियाणा	मार्ग	**3000.00**

	11.600 से 74.000 किमी तक चौडा करना और सुदृढ बनाना				
23	रेवाडी कस्बा जिला रेवाडी के पश्चिमी ओर दूसरे चरण के नए विकसित जल निर्माण कार्य क्षेत्र	1665.00	पीएचईडी हरियाणा	जल आपूर्ति	**249.75**
24	गोहाना लखन माजरा भिवानी मार्ग को 0.000 से 37.700 किमी तक जिला रोहतक सीमा सडक तक चौडा करना और सुदृढ बनाना	9977.00	लोनिवि(बीएंड आर), हरियाणा	मार्ग	**1500.00**
25	स्मालखा कस्बा, जिला पानीपत के लिए जल आपूर्ति स्कीम उपलब्ध कराना	1194.21	पीएचईडी हरियाणा	जल आपूर्ति	**182.94**
26	मेवात जिला में पुनहाना कस्बे के लिए सीवरेज स्कीम उपलब्ध कराना	1249.83	पीएचईडी हरियाणा	सीवरेज	**164.00**
27	सोनीपत कस्बा, हरियाणा (एडीबी) में वर्षा जल नाले का निर्माण	2172.00	पीएचईडी हरियाणा	अपवहन	**783.00**
28	फारुख नगर कस्बा और पांच गांव, गुडगांव जिला के लिए जल आपूर्ति की वृद्धि	2434.24	पीएचईडी हरियाणा	जल आपूर्ति	**231.00**
29	नूह कस्बा, मेवात जिला के लिए सीवरेज स्कीम और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	1027.38	पीएचईडी हरियाणा	सीवरेज	**200.00**
30	हरियाणा के झज्जर जिले में बहादुरगढ झज्जर मार्ग को चौडा करना और सुदृढीकरण	15652.00	लोनिवि(बीएंड आर), हरियाणा	मार्ग	**320.00**
31	हरियाणा उप क्षेत्र में गुडगावं जिले में 5 मार्गों का सुधार	9036.00	लोनिवि(बीएंड आर), हरियाणा	मार्ग	**1195.00**

32	जिला सोनीपत, हरियाणा में सोनीपत कस्बे की विभिन्न अनुमोदित कालोनियों में वितरण पाइपलाइन उपलब्ध कराना	851.00	पीएचईडी हरियाणा	जल आपूर्ति	**113.25**
	योग				**23791.42**

(अर्थात रुपए 237.91 करोड)

ख. क्षेत्रवार जारी ऋण का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रू में)

2014-15 के दौरान क्षेत्रवार जारी किया गया ऋण	
जलापूर्ति	3549.68
सीवरेज/ड्रेनेज	305724
सड़कें एवं आरओबी	14020.50
विद्युत	00.00
सामाजिक बुनियादी सुविधाएं	3164.00
कुल	**23791. 42**

घ. (i) वित्तीय संसाधन

1. वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड के वित्तीय संसाधन निम्नानुसार हैं:

भारत सरकार की बजटीय सहायता

- शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अंशदान-रू 80 करोड़
- वेतन तथा भत्तों और बोर्ड के अन्य कार्यालय व्यय को पूरा करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय से गैर योजना अनुदान - रू 390 करोड़ ।

आंतरिक तथा वाह्य बजटीय संसाधन

आंतरिक प्रोद्भूत अर्थात राज्य सरकारों और उनके पैरा स्टेटलों को दिए ऋण और बैकों में जमा धनराशि आदि पर अर्जित ब्याज	रू 417.22 करोड़
उधार लेने वालों यानी राज्य सरकारों और उनके पैरा स्टेटलों द्वारा ऋण (मूल) का भुगतान राज्य सरकारों	रू 613.37 करोड़

और उनकी कार्यात्मक एजेंसियों द्वारा ऋणों की वापसी करने में कोई चूक नहीं हुई है। वूसली 100% है ।	

2. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, प्राप्त अनुदान और वास्तविक व्यय निम्नलिखित अनुसार हैं:

(लाख रू में)

ब्यौरा	शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान	वास्तविक व्यय
योजना	8000.00	52356.00*
गैर योजना	390.00	876.88**

*अनुदान/बजटीय अंशदान से अधिक हुए व्यय को एडीबी और केएफडब्ल्यू जैसी बहुपक्षीय, द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार लेकर तथा ऋण के वापसी भुगतान और बोर्ड के अपने आतंरिक उद्भूत राशि से पूरा किया गया ।

** इसमें वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2014-15 के लिए बोर्ड के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए रूपये 432.57 लाख का प्रावधान भी शामिल है जिसे बोर्ड के आंतरिक उद्भूत राशि पूरा किया गया । जिसे बोर्ड के आंतरिक संग्रहणों से पूरा किया गया ।

(ii) संसाधन जुटाना

घरेलू पूँजी बाजार

- वर्ष 2014-15 के दौरान, बोर्ड ने घरेलू पूंजी बाजार से कोई राशि नहीं जुटाई है। बोर्ड ने कॉल विकल्प का प्रयोग करके फरवरी, 2015 में रू 200 करोड़ की रकम एक असुरक्षित कर योग्य बांड श्रृंखला का मोचन (redeem) कर के प्राप्त किए हैं। यह राशि बीआरआर से प्राप्त की गई है।
- 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बांडों के जरिए बोर्ड का कुल बकाया ऋण 900 करोड़ रू है। इन बांडों की समयावधि 7 साल के बाद पुट/काल विकल्प समेत 10 वर्ष है। ये बांड राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेज-डब्लयूडीएम घटक में भी सूचीबद्ध हैं और बांड इशू के लिए कार्पोरेशन बैंक को न्यासी नियुक्त किया गया है।
- एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए तथा इंडिया रेटिंग (पहले इसका नाम फिच रेटिंग था) द्वारा दी गई 'एएए' (स्टेबल आउटलुक) जारी रही। यह उच्चतम

पूँजी निवेश ग्रेड रेटिंग्स है जिससे बोर्ड पूँजी बाजार से सस्ती दरों पर संसाधन जुटाने के साथ-साथ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संसाधनों से निधियां जुटा सकता है।

- ब्याज के नाम पर देय सभी भुगतान निवेशकर्ताओं को समय पर दे दिये गए हैं। बोर्ड से इस विषय में कोई चूक नहीं हुई है।

बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्त पोषण

एशियाई विकास बैंक से ऋण (एडीबी)

- एशियाई विकास बैंक ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बोर्ड को 150 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है। इस ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है। 78 मिलियन अमेरीकी डालर की पहली खेप के लिए ऋण अनुबंध पर 17 मार्च, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। ट्रेंच -1 की राशि 78 मिलियन डालर में से 18 मिलियन डालर की राशि को रद्द कर दिया गया है। दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार बोर्ड ने कुल ऋण राशि 60 मिलियन डालर में से 38.86 मिलियन डालर का उपयोग कर लिया है।
- उक्त ऋण एशियाई विकास बैंक के खरीद - दिशा निर्देशों और पर्यावरण तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अध्यधीन राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जा रहा है।
- बोर्ड नियमित रूप से एडीबी को देयताओं का भुगतान कर रहा है।

<u>जर्मन केएफडब्ल्यू द्विपक्षीय एजेंसी से ऋण</u>

- केएफडब्ल्यू द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी परिवहन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल स्कीमों के लिए 100 मिलियन यूरो ऋण + 1 मिलियन यूरो अनुदान देने के लिए संबंधित अनुबंधों पर 09 फरवरी, 2012 तथा 30 मार्च, 2012 को हस्ताक्षर किए गए। केएफडब्ल्यू को ऋण वापसी की अवधि मूल धनराशि की अदागयी के लिए 05 वर्ष की स्थगन अवधि समेत 15 वर्ष है। ऋण के लिए स्थाई ब्याज दर 183 प्रतिशत वार्षिक है। वर्ष 2014-15 तक बोर्ड ने केएफडब्लयू से 18.98 मिलियन यूरो का दावा किया था और इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ली है।
- बोर्ड नियमित रूप से केएफडब्ल्यू को देयताओं का भुगतान कर रहा है।

(iii) लेखों का लेखा परीक्षण

- वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के साथ शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

(iv) क्षमता विकास संबंधी प्रयास-पहल

- एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजना निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, वित्तीय और कोष प्रबंधन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को बढाने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं के जरिए एशियाई विकास बैंक तकनीकी सहायता के तहत पुस्तिकाएं और टूल किट्स तैयार की गई और व्यापक इस्तेमाल के लिए बोर्ड की वेबासाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। ये टूलकिट्स और नियम पुस्तिकाएं योजना बनाने, अच्छी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के क्षेत्र में इस बोर्ड, राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों के कार्मिकों की कार्य क्षमता में काफी बढोतरी करेंगी और इनकी मदद से बोर्ड कारगर वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभा पाएगा।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एवं उसके हितधरियो की क्षमता के विकास हेतु तकनीकी सहायता के लिए केएफडब्ल्यू द्वारा परामर्शदात्री कंपनी मैसर्स लाहमेयर जीकेडब्लू कन्सल्ट, जर्मनी का अनुमोदन तथा नियुक्ति की गई है।

घ. नई पहल

बोर्ड ने प्राथमिक अवसंरचना परियोजनाओं अर्थात् जलापूर्ति, सीवरेज, सैनिटेशन, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष दी गई है जिसमें मूल धन के पुनर्भुगतान के लिए 3 वर्ष का अधिस्थगन काल भी शामिल है। इसके साथ ही समयबद्ध तरीके से एनसीआर में जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने परियोजना लागत का 15% अनुदान रूप में देने का अनुमोदन किया है। परिवहन, जल और सेनिटेशन जैसी लंबी अवधि और कम रिटर्न वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने इन पर 8.25% प्रति वर्ष की ब्याज दर घटा कर 7.50% प्रति वर्ष कर दी है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है तथा ब्याज दर भी 9.25% से घटा कर 7.50% कर दी गई है।

ड. प्रशासन और सतर्कता

1. प्रशासन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सचिवालय में नियोजन, प्रशासन एवं स्थापना, वित्त तथा परियोजना विंग है। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की कुल स्वीकृत और वास्तविक कार्मिक-संख्या निम्नलिखित अनुसार है -

श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
समूह 'क'	13	11
समूह 'ख'	6	6
समूह 'ग'	25	25
समूह 'घ'	7	7
कुल	**51**	**49**

बोर्ड समय-समय पर लागू अपने भर्ती नियमों तथा भारत सरकार के नियमों/अनुदेशों के अनुसार आरक्षण नीतियों को लागू कर रहा है। निदेशक रैंक के एक अधिकारी को अनु.जाति/अनु.जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांगों समेत तथा अल्पसंख्यक कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(ii) सतर्कता

बोर्ड कार्यालय में निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) को अंश - कालिक सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है । सभी सतर्कता संबंधित मामले एवं मुद्दे उनके द्वारा ही देखे जाते हैं ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अधिदेशित ई-गवर्नेंस को बढावा देकर सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट www.ncrpb.nic.in पर बोर्ड के अधिदेश और कार्य, ऋण सहायता- प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्त्ताओं हेतु दिशा निर्देश समेत इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपालोड किया जाता है। इस वेबसाइट पर अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा प्रमुख विशेषताओं समेत क्षेत्रीय योजनाओं सबंधी ब्रॉशर, विभिन्न योजनाओं की स्थिति, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्त्ताओं हेतु व्यापक दिशानिर्देश, ऋण संबंधी शर्तें, ली जाने वाली ब्याज दरें और उपलब्ध छूट, परियोजनाओं की स्थिति, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे भी उपलब्ध है। इस पर उधारकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मों जिन्हें डाऊनलोड किया जा सकता है, समेत टेंडरों/आरएफपी आदि के लिए निर्धारित क्षेत्र सहित पूर्ण ऋण दस्तावेजों संबंधी सूचना उपलब्ध है। अन्य अनिवार्य

सूचना के अतिरिक्त वेबसाइट पर रिक्त पदों के विज्ञापन, भर्ती के लिए पात्रता-मानदंडों के साथ-साथ भावी उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित अन्य अनिवार्य सूचनाओं को दर्शाया जाता है।

(iii) सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 5 (1) के अनुसार बोर्ड कार्यालय में 6 जन सूचना अधिकारियों और 3 अपीली प्राधिकारियों को पदनामित किया गया है। जन सूचना अधिकारियों और अपीली प्राधिकारियों के ब्यौरे कार्यालय में दर्शाने के साथ-साथ बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया है और आवेदन प्रक्रिया तैयार की गई है। आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, समय पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्तर पर समय-समय पर निगरानी भी की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अनुसार अपेक्षित सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.ncrpb.nic.in पर अपलोड की गई है। वर्ष 2014-15 में इस अधिनियम के तहत 100 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करा दी गई । बोर्ड कार्यालय नियमित रूप से आवेदनों का तिमाही एवं वार्षिक ब्यौरा सीआईसी की वैबसाइट पर अपलोड करता है तथा शहरी विकास मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जाती है।

ई-अधिप्रापण/क्रय

प्राप्ति नीति प्रभाग, व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार बोर्ड को यह प्रयास रहता है कि सभी निविदाएं सीपीपी पोर्टल पर रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की वैबसाइट द्वारा प्रदर्शित की जाएं ताकि सभी निविदा पूछताछ, संशोधन, दिये गए अनुबंध के ब्यौरे आदि जैसी सभी जानकारी स्वतः ही एनआईसी द्वारा बनाए गए एक्सएमएल सुविधा युक्त सीपीपी पोर्टल पर अपलोड हो सके ।

v) संगठनात्मक ढ़ाँचा

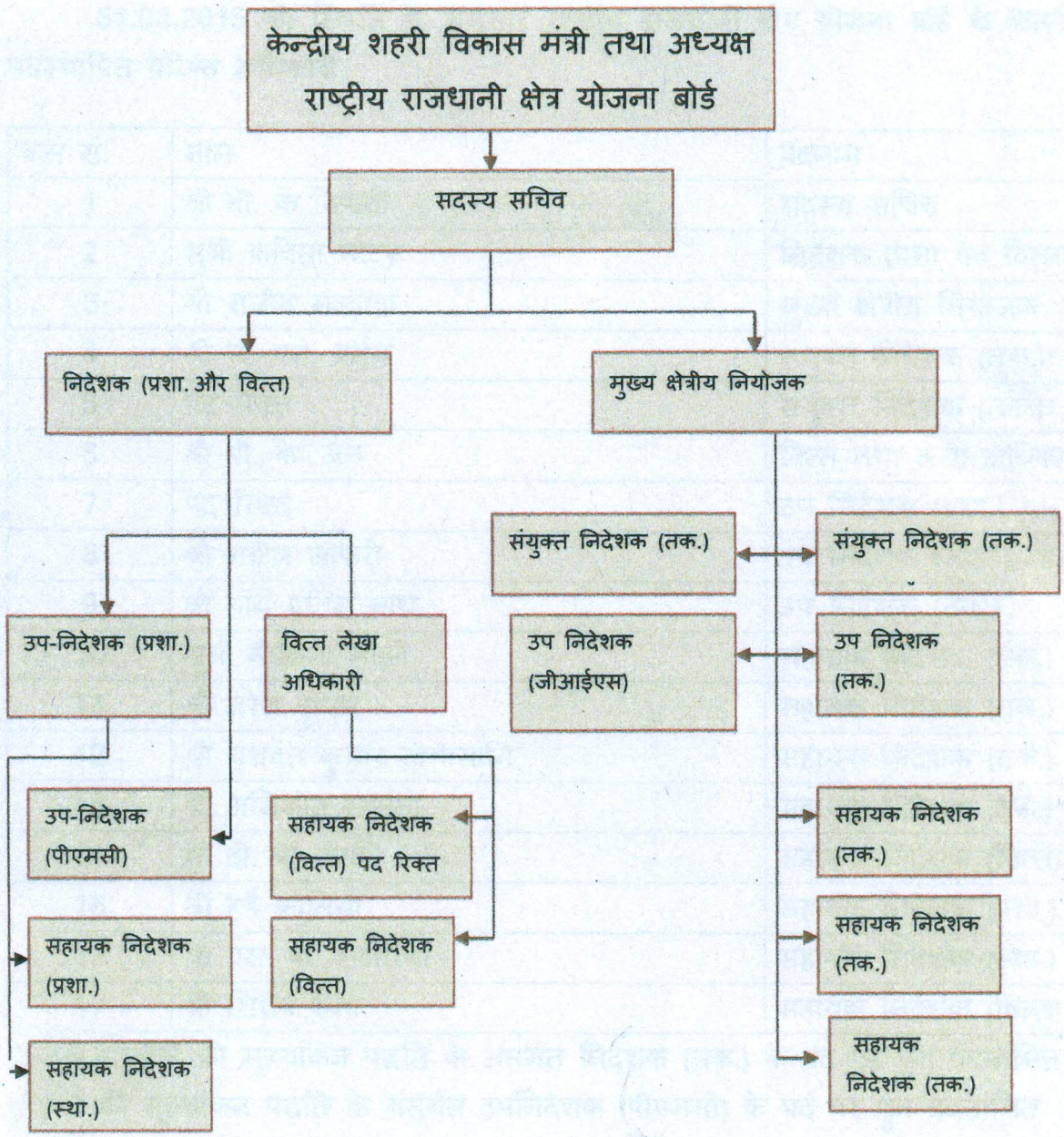
केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री तथा अध्यक्ष
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
सदस्य सचिव
निदेशक (प्रशा. और वित्त)
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
संयुक्त निदेशक (तक.)
संयुक्त निदेशक (तक.)
उप-निदेशक (प्रशा.)
वित्त लेखा अधिकारी
उप निदेशक (जीआईएस)
उप निदेशक (तक.)
उप-निदेशक (पीएमसी)
सहायक निदेशक (वित्त) पद रिक्त
सहायक निदेशक (तक.)
सहायक निदेशक (प्रशा.)
सहायक निदेशक (वित्त)
सहायक निदेशक (तक.)
सहायक निदेशक (स्था.)
सहायक निदेशक (तक.)

3. संगठनात्मक ढ़ॉचा जारी.....

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारी

कम सं.	नाम	पदनाम
1	श्री बी. के त्रिपाठी	सदस्य सचिव
2	सुश्री कविता गोटरू	निदेशक (प्रशा एवं वित्त)
3	श्री राजीव मल्होत्रा	मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
4	श्री जे. एन. बर्मन	संयुक्त निदेशक (तक.)*
5	पद रिक्त	संयुक्त निदेशक (तक.)
6	श्री पी. के. जैन	वित्त तथा लेखा अधिकारी
7	पद रिक्त	उप निदेशक (प्रशा.)
8	श्री नबील जाफरी	उप निदेशक (जीआईएस)
9	श्री पार्थ प्रतिम नाथ	उप निदेशक (तक.)
10	सुश्री नीलिमा माझी	सहायक निदेशक (तक.)
11	श्री नरेश कुमार	सहायक निदेशक (तक.)
12	श्री यशवंत कुमार नामासानि	सहायक निदेशक (तक.)
13	श्री अभिजीत सामंता	सहायक निदेशक (तक.)**
14	श्री डी. के. वर्मा	सहायक निदेशक (वित्त)
15	श्री हर्ष कालिया	सहायक निदेशक (प्रशा.)
16	श्री एस. के. कटारिया	सहायक निदेशक (स्था.)
17	श्री शिरीष शर्मा	सहायक निदेशक (वित्त)

*एनसीआरपीबी की मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत निदेशक (तक.) के पद पर पुन पदनामित

** बोर्ड की मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत उपनिदेशक (पीएमसी) के पद पर पुन पदनामित